खण्ड–34, अंक–2
मंगलवार, 08 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1934
(29 मई, 2012 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2012)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 34 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	"क"
प्रश्नोत्तर	1–48
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग	49–50
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (सदन के पटल पर रखा गया)...	50
उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (सदन के पटल पर रखा गया)	50
उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012 (अधिनियमित होने की घोषणा)	51
उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)...	51
उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)... ...	51–52
उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)	52
उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)	52–53
नत्थी	54

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अजय भट्ट
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्री आदेश चौहान
7–श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश
8–श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9–श्री गणेश गोदियाल
10–श्री गणेश जोशी
11–श्री चन्दन राम दास
12–श्री चन्द्र शेखर
13–डा0 जीत राम
14–श्री तीरथ सिंह
15–श्री दलीप सिंह रावत
16–श्री दान सिंह भण्डारी
17–श्री दिनेश अग्रवाल
18–श्री दिनेश धनै
19–श्री नवप्रभात
20–श्री नारायणराम आर्य
21–श्री पुष्कर सिंह धामी
22–श्री पूरन सिंह फर्त्याल
23–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
24–श्री प्रदीप बत्रा
25–श्री प्रीतम सिंह
26–श्री प्रीतम सिंह पंवार
27–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
28–श्री प्रेम सिंह
29–श्री बंशीधर भगत
30–श्री भीमलाल आर्य
31–श्री मदन कौशिक
32–श्री मदन सिंह बिष्ट
33–श्री मनोज तिवारी
34–श्री मयूख सिंह
35–श्री महावीर सिंह
36–श्री माल चन्द
37–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
38–श्री यतीश्वरानन्द
39–श्री यशपाल आर्य
40–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
41–श्री राजकुमार
42–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
43–श्री राजेश शुक्ला
44–श्री ललित फर्स्वाण
45–श्री विक्रम सिंह नेगी
46–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
47–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
48–श्री बिशन सिंह चुफाल
49–श्रीमती शैला रानी रावत
50–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
51–श्री संजय गुप्ता
52–श्री सरवत करीम अंसारी
53–श्रीमती सरिता आर्या
54–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
55–श्री सुबोध उनियाल
56–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
57–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
58–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
59–श्री सुरेन्द्र राकेश
60–श्री हरबन्स कपूर
61–श्री हरिदास
62–श्री हरीश धामी
63–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
64–श्री हेमेश खर्कवाल

मंगलवार, दिनाँक 29 मई, 2012 ई0

(विधान सभा का कार्य सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से संचालित डग्गामार वाहनों से परिवहन विभाग को हो रही राजस्व हानि तथा डग्गामार वाहनों के संचालन रोकने व दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कार्ययोजना

*1–श्री मदन कौशिक–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड में कई स्थानों पर अधिकारियों की मिलीभगत से डग्गामार वाहन संचालित हो रहे हैं, जिससे परिवहन विभाग को भारी राजस्व की हानि हो रही है।

क्या सरकार द्वारा अवैध रूप से संचालित डग्गामार वाहनों को रोकने एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश)–

जी नहीं,

प्रवर्तन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 के द्वारा प्राविधानित नियमों का अनुपालन कराये जाने हेतु प्रवर्तन दल गठित किये गये हैं।

उक्त गठित इन प्रवर्तन दलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 4,05,120 वाहनों को चैक किया गया। जिनमें से 49951 वाहनों का चालान किया गया, 4739 वाहनों को बन्द किया गया तथा कुल ₹ 937.91 लाख की वसूली प्रशमन शुल्क के रूप में की गयी। इस दौरान प्रवर्तन दलों द्वारा बिना परमिट 6326, परमिट शर्तो के विरूद्ध 2708, बिना कर जमा किये संचालित 10727, प्राइवेट वाहनों का व्यवसायिक प्रयोग करते हुए 323, कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रेक्टरों के व्यवसायिक प्रयोग करते हुए 303 एवं भार वाहनों में यात्री ढोये जाते पाये गये 362 वाहनों के चालान किये गये।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा पुलिस विभाग के साथ 07 संयुक्त विशेष चैकिंग अभियान संचालित किये गये। जिनमें 19164 वाहनों को चैक किया गया, 8264 वाहनों का चालान कर 709 वाहनों का बन्द किया गया है।

प्रदेश स्तर पर प्रशासन, पुलिस, परिवहन निगम एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों का संयुक्त रूप से अभियान संचालित किये जाने के निर्देश समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि क्या उत्तराखण्ड में डग्गामार वाहन संचालित हो रहे हैं, उत्तर में आया, "जी नहीं" और जब दूसरा पार्ट पूछा गया तो बताया गया कि इसमें 6326 बिना परमिट के वाहन पकड़े गये हैं। एक तरफ माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि डग्गामार वाहन संचालित नहीं हो रहे हैं और दूसरी ओर कह रहे हैं कि 6326 बिना परमिट के वाहन का चालान किया गया है। इस प्रश्न उत्तर गलत हैं, इसलिये इस प्रश्न को स्थगित करने का कष्ट करें, दूसरी बार जब माननीय मंत्री जी तैयारी करके आयेंगे, तब हम उनसे सवाल पूछेंगे।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने सवाल तो पूछ लिया, लेकिन सवाल पूछने के बाद उसका अध्ययन नहीं किया। जो प्रश्न उनके द्वारा पूछा गया है, मेरे द्वारा उसका बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। माननीय मंत्री जी गौर से सुनें, जो मैंने कहा है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, कौशिक जी अब मंत्री कहाँ रहे, मंत्री जो सुरेन्द्र राकेश जी हो गये हैं और उन्हें मंत्री जी कह रहे हैं। (हँसी)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सदन में ए0सी0 चल रहा है, फिर भी माननीय मंत्री जी को पसीना आ रहा है। माननीय मंत्री जी, पसीना पोंछ लीजिये।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, आप परेशान मत होइये, मेरे पास आपके सभी प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध है, आप पहले मंत्री रह चुके हैं, इसलिये हमारी आदत पड़ी हुई है। (हँसी)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का सोचना है कि आप वहाँ अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, इसलिये इधर आ जायं। (हँसी)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा था कि "उत्तराखण्ड में कई स्थानों पर अधिकारियों की मिलीभगत से डग्गामार वाहन संचालित हो रहे हैं, जिससे परिवहन विभाग को भारी राजस्व की हानि हो रही है।" मैंने कहा, 'जी नहीं, अधिकारियों की मिलीभगत से कोई भी डग्गामारी पूरे उत्तराखण्ड में नहीं हो रही है।'

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अगर 6000 चालान डग्गामार के कट गये, और आप बता रहे हैं कि प्रदेश में डग्गामारी नहीं हो रही है, तो फिर यह 6000 चालान कैसे हो गये?

(शेम–शेम की ध्वनि) (घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि डग्गामारी नहीं हो रही है। माननीय सदस्य आप मेरा पूरा उत्तर सुन लीजिये, पहले आप अपना प्रश्न पढ़िये और मेरा उत्तर सुनिये। मेरा उत्तर यह है कि अधिकारियों की मिलीभगत से कोई डग्गामारी नहीं हो रही है, और जो डग्गामारी हो रही है उस पर विभाग के द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि 6326 बिना परमिट की गाड़ियों का चालान किया गया है, तो क्या यह सम्भव है कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के 6000 गाड़ियाँ चल सकती हैं? माननीय मंत्री जी, यदि ऐसा है तो सरकार को सदन में जनता से माफी माँगनी चाहिये। (घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मात्र यह कह देने से कोई माफी माँगने वाला नहीं है। मैं तो यह बता रहा हूँ कि माननीय मदन कौशिक जी ने पिछले पाँच सालों में बहुत डग्गामारी की है। (हँसी) शहरी विकास में डग्गामारी की है और फिर पर्यटन में डग्गामारी की है, इन्हें डग्गामारी की आदत है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह माननीय बहुगुणा जी की सरकार कोई डग्गामारी नहीं करेगी। जो डग्गामारी पहले की गयी है, उसकी जाँच के निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 6326 डग्गामार वाहन पकड़े गये हैं और इनके चालान किये गये हैं और दूसरी जगह कह रहे हैं कि जी नहीं, डग्गामारी नहीं हुई तो यह अपने आप में कन्ट्राडिक्ट है। मान्यवर, ये स्वीकार कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि जी नहीं कोई डग्गामारी नहीं हुई। मान्यवर, 6326 बिना अधिकारियों की मिलीभगत के हो ही नहीं सकती है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की जिज्ञासा को पूरा करना चाहता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सुनने की आदत भी ड़ालें दो मिनट बैठकर।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, रक्षा करिये। माननीय सदस्य पुराने भी हैं और सदन में इनका लम्बा समय भी है। पहली बात है कि एक ही विषय को, प्रश्न पूछना उनका अधिकार है। सप्लीमेंट्री सदन में अधिक से अधिक दो या तीन जो आपका निर्देश हो। (व्यवधान) ये पीठ तय करेगी, न आप तय करेंगे, न मैं तय करूँगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप पीठ को निर्देश क्यों दे रही हैं ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं पीठ निर्देश नहीं दे रही हूँ। यह अधिकार आपको नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं आपको नहीं देख रही हूँ, मैं अध्यक्ष पीठ को देख रही हूँ। मैं आपकी पीठ से अनुरोध कर रही हूँ, कि आप तय कर दीजिए कि सप्लीमेंट्री कितने पूछेंगे। मंत्री को यह अधिकार है, वह अपना उत्तर दे। ये आपको अधिकार है कि प्रश्न पूछें और सप्लीमेंट्री भी पूछे। लेकिन वह चर्चा का विषय बिना आपकी अनुमति के न बने। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, अगर एक घंटा बीस मिनट भी पूछेंगे तो पूरा उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। कितने भी अनुपूरक पूछें, तैयार हूँ बिल्कुल।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ये डग्गामार बसें किस–किस रूट पर चलायी जा रही थीं, किस–किस रूट पर ये 6326 बसें पकड़ी गयी हैं ? किस–किस रूट पर ये बसें थीं, सबसे अधिक किस रूट पर पकड़ी गयी हैं और इन डग्गामार बसों से कितनी वसूली की गयी है ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, रूटवाईज इन्होंने कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन जिलेवाईज, मैं जिलेवाईज आपको पूरी स्थिति बता सकता हूँ। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो मेरे से सवाल किया है, उसका उत्तर देना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी। (व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में प्रश्न करना चाहिए, उत्तर आना चाहिए। जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, बहुत बुजुर्ग हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, यह एक ही पक्ष पर लागू नहीं होता है, दोनों पक्षों पर लागू होता है। अब एक मामला चल रहा है एक प्रश्न पर तो उस पर सरकार को तैयार होकर तो आना ही चाहिए। जब आप पूछ रहे हैं कि कौन–कौन से रूट पर हुए, कहाँ–कहाँ पर हुए तो इसमें रूट का प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन अनुपूरक तो निकलेगा ही। इतना तो मैं माननीय मंत्री जी को, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये तो तैयारी करके आना ही चाहिए कि रूट कौन से हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कितनी वसूली हुई अगर इतना ही नहीं पूछेंगे तो सदन कैसे चलेगा। इसलिए हम स्पेस्फिक प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आज तैयारी नहीं है तो स्थगित कर दें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उत्तर दे रहा हूँ माननीय सदस्य जी, जो माननीय सदस्य ने सवाल किया है, उसका उत्तर देना चाहता हूँ। मान्यवर, जो इन्होंने शुल्क की बात की है मान्यवर, मैंने बताया, शुरू में ही बताया, उत्तर में दिया है, दुबारा उसे पढ़ लें कि कितना, मैंने बताया कि 09 करोड़ 37 लाख 91 हजार रूपये की वसूली की गयी। इतना हमने वसूल किया है डग्गामार बसों के द्वारा चालान करके।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, पहले आया कि डग्गामारी नहीं हुई है और अब स्वीकार कर रहे हैं कि डग्गामारी से हमने वसूली की है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य पिछली बार से बड़े कुंठित हैं, सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ये डग्गामारी से मिले हुए हैं, खुद मंत्री जी के संरक्षण में डग्गामारी हो रही है। (शेम–शेम की ध्वनि)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं बता रहा हूँ कि हमारे कार्यकाल की कोई डग्गामारी नहीं हुई है। डग्गामारी पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि आये दिन एक्सीडेन्ट से इतने लोग मर रहे हैं, अभी ऋषिकेश में आपने देखा मध्य प्रदेश की बस गिर गई और कैसी त्रासदी हुई है, यह आप भी ही जानते हैं, इसलिए इस मामले को लाइटली नहीं लिया जा सकता। यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। आये दिन एक्सीडेन्ट हो रहे हैं। इसलिए हमने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि किस–किस रूट पर कितनी बसें पकड़ी गई हैं, इसका उत्तर माननीय अध्यक्ष जी, आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जब माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं तो दूसरे सदस्य हल्ला कर रहे हैं तो यह ठीक बात नहीं है। साथ में माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उसको भी आप नहीं सुन पा रहे हैं तो कैसे इसका निर्णय निकलेगा।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, यह तो माननीय मंत्री जी का कोई जवाब नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह अपेक्षा हम भी करते हैं कि उस पीठ पर बैठकर आप हमें भी संरक्षण दें। मान्यवर, यह मार्च तक का उत्तर है, यह उत्तर 2011–12 का है, यह सरकार फरवरी में गठित हो गयी थी, चार दिन भी यह सरकार के रहे तो यह पिछली सरकार का कैसे हो गया। माननीय मंत्री जी खुद उत्तर गलत दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा भी संरक्षण करें। माननीय मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि डग्गामारी पकड़ी गई।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, हमारी सरकार जब से बनी है, तब से कोई डग्गामारी नहीं पकड़ी गई। जितनी डग्गामारी पकड़ी गई, वह आपके कार्यकाल में पकड़ी गई है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि किसी रूट पर कितनी डग्गामारी पकड़ी गई और कितना उस रूट पर राजस्व मिला ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य शान्त रहें, तभी तो उत्तर बता पायेंगे। मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने मुझसे सवाल किया है, मैं उसका बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दे रहा हूँ कि हरिद्वार जनपद में विभिन्न–विभिन्न रूटों पर जो बिना परमिट की गाड़ियाँ पकड़ी गई और जिनमें चालान हुए, वह 1344 हैं। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि किस रूट पर कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई? माननीय मंत्री जी पूरे जिले की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी विषय से भटक रहे हैं। विभिन्न रूट क्या होता है, रूट का नाम तो होगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विभिन्न–विभिन्न रूटों पर बता रहा हूँ। माननीय सदस्य को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब चालान होते हैं तो वह अलग–अलग स्थानों पर जाकर, अलग–अलग सड़कों पर जाकर और अलग–अलग रूटों पर जाकर चालान करते हैं। (व्यवधान) मान्यवर, माननीय सदस्य उत्तर सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है ?

(माननीय सदस्यगण के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहती हूँ कि पीठ के निर्देश का सम्मान करें। सदन के चलाने में पीठ के निर्देश का सम्मान करना जरूरी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सरकार बहुत गम्भीर नहीं है। इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगणों ने सदन का बहिर्गमन किया।)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण सदन में पुनः वापस आये।)

प्रदेश की निराश्रित विधवाओं, वृद्धजनों एवं विकलांग पेंशन धारकों को पेंशन का नियमित भुगतान व रुकी हुई पेंशन राशि को जारी करने हेतु कार्यवाही

*2–श्री राजेश शुक्ला एवं श्री मदन कौशिक–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग द्वारा प्रदेश की निराश्रित विधवाओं, वृद्धजनों, विकलांगजनों के कल्याणार्थ दी जाने वाली पेंशन राशि नियमित रूप से पेंशन धारकों के खातों में जमा की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार रूकी हुई पेंशन राशि जारी करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी हाँ, जिन लाभार्थियों के खाते अब तक उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें मनीऑर्डर के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन का भुगतान 31 मार्च, 2012 तक किया जा चुका है, किन्तु विकलांग पेंशन की मद में धनराशि कम पड़ने के कारण जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा तथा हरिद्वार में चतुर्थ त्रैमासिक (जनवरी, फरवरी एवं मार्च) किस्त का भुगतान शेष है, जिसके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो प्रश्न का उत्तर जानना चाहा है, उसका जो जवाब माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया है, वह सदन को गुमराह करने वाला है। मैंने कहा है कि क्या पेंशन धारकों के खाते में पेंशन जमा की जा रही हैं ? आप कह रहे हैं, 'जी हाँ।' दूसरा खुद लिख रहे हैं कि हमने इतनी किश्तें नहीं दी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यह अपने आप में गलत है। मान्यवर, यह प्रश्न स्थगित करने योग्य है। क्योंकि वास्तविकता यह है कि पिछले छः महीने से किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है। (घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, ये निराश्रित लोग हैं, इनको एक साल से पेंशन नहीं मिली है। यह उत्तर सदन को गुमराह करने वाला है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित करें और मंत्री जी इसमें वास्तविक जवाब देने का कष्ट करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वृद्धावस्था की पेंशन के पूरे प्रदेश में कुल 3,13,214 लाभार्थी हैं, विकलाँग पेंशन के 49,531 लाभार्थी हैं, विधवा पेंशन के 1,02,295 हैं।

(कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह नहीं था कि कितने लाभार्थी हैं ?

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय बैंक में हमारे द्वारा पेंशन जारी की जाती है, वह 87 हजार है, पहले शुक्ला जी, जरा शान्ति से सुन लें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर न देकर केवल सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। यह प्रश्न स्थगित करने योग्य है और माननीय मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ आयें।

(कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि जिन लाभार्थियों के खाते अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें मनीऑर्डर के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध भी है और एक सवाल भी है कि क्या सभी लाभार्थियों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पेंशन मिल रही है ? दूसरी बात, यदि मिल रही है तो मिनी बैंक के माध्यम से, हमारे क्षेत्र में श्यामपुर के अन्दर एक मिनी बैंक के माध्यम से जो पेंशन मिल रही है, मान्यवर, चूँकि वृद्धावस्था, विकलाँग अवस्था, ये वो निराश्रित लोग हैं, जिनको हम सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यदि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उन्हें भुगतान हो रहा है तो मिनी बैंक का क्या मतलब है और दूसरा, जिन लाभार्थियों को पिछले एक साल से पेंशन नहीं मिली है तो क्या उन लाभार्थियों को पेंशन के साथ–साथ ये सरकार उनको ब्याज उपलब्ध करायेगी, मेरा यह प्रश्न है ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, उसके बारे मैं बता दूँ, वही मैं बताना चाह रहा था, लेकिन कुछ सदस्य हमारे ऐसे हैं, जो सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, एक मंत्री इतना बेफिजूल बोलेगा तो सदन का क्या होगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उत्तर दूँ।

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, यह संवेदनशील मुद्दा है, इसको हँसी–मजाक में ले रहे हैं, इसकी गम्भीरता को खत्म कर रहे हैं और सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने जानकारी चाही कि मिनी बैंक, मिनी बैंक का मतलब है सहकारी बैंक, तो यह सहकारी बैंक का एक हिस्सा है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत सहकारी बैंक के द्वारा 58 हजार 4 सौ 83 लाभार्थियों को हम वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, विकलाँग पेंशन 11 हजार 417 लोगों को देते हैं, विधवा पेंशन 27 हजार 413 लोगों को देते हैं।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, आप कह रहे हैं कि देते हैं, पर इनके खाते में जमा कब से नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जमा है, यदि नहीं जमा है तो आप बतायें कहाँ पर नहीं जमा है तो उसकी जाँच करा लेंगे। (व्यवधान)

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि मनी आर्डर के माध्यम से सभी लाभार्थियों को पेंशन भेजी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मनी आर्डर कितनी तारीख को हुए हैं, क्योंकि मेरी जानकारी में 13 केस ऐसे हैं कि लगातार विभाग के सम्पर्क करने के बाद भी उनको पेंशन नहीं मिली है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने कितनी तारीख को यह मनी आर्डर किये हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, ये भिन्न–भिन्न तारीखों को मनी आर्डर किये जाते हैं, अलग–अलग स्थिति में हर जिले में किये जाते हैं तो अभी तक 35 हजार 797 लोगों को मनी आर्डर के द्वारा पेंशन दी जा रही है।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न के उत्तर में बोला है कि 31 मार्च, 2012 तक पेंशनों का भुगतान किया जा चुका है। किन्तु विकलाँग पेंशनों की मद में धनराशि, बाकी पेंशनों का जिक्र नहीं किया है, यानी कि माननीय मंत्री और सरकार की तरफ से जो बयान इस सदन में आया है और चूँकि पूरे सदन के पक्ष और विपक्ष के हमारे सभी माननीय विधायक जनप्रतिनिधि गाँव क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ पर 6 महीनों, 8 महीनों या साल भर से कई जगह पेंशन नहीं मिली है। ऐसे में माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह स्वयं में कितना ठीक है, इसको हमें गम्भीरता से लेना चाहिए। वहीं पर इन्होंने बोला है कि पूरे प्रदेश में पेंशन पूरी मिल रही है और वहीं पर यह भी जिक्र किया है कि पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा तथा हरिद्वार में 4 महीने की पेंशन शेष है, बाकी पूरे प्रदेश की पेंशन मिल गई है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये जो जनपद हैं, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा तथा हरिद्वार में, यहाँ कितने लोगों को पेंशन और देनी है, कितना रूपया देना है, जिलेवार बता दें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, माननीय टम्टा जी ने जो जानकारी चाही है तो मैं यह जानकारी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विकलाँग पेंशन, जिन्हें अभी पेंशन नहीं मिल पाई है, तीन महीने की शेष है।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने विकलाँग से पहले यह पूछा है कि वृद्धावस्था पेंशन सबको दे दिया है या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, सबको दे दिया है। वृद्धावस्था पेंशन सभी लोगों को दे दी गयी है, जो शेष है उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। मान्यवर, विकलाँग पेंशन पिथौरागढ़ में 1010, उत्तरकाशी में 330, बागेश्वर में 528, अल्मोड़ा में 1025, हरिद्वार में तीन महीने की जिनकी शेष रह गयी है, वह 5210 और 6 महीने की जिनकी शेष रह गयी है, वह 1199 है। मान्यवर, कुल इतने लाभार्थी हैं, जिनकी पेंशन नहीं दी गयी है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि हरिद्वार में पाँच हजार विकलाँगों की पेंशन शेष है तो हरिद्वार में टोटल विकलाँग कितने हैं, जो माननीय मंत्री जी ने अभी–अभी पाँच हजार शेष बताये हैं ? अध्यक्ष जी, मैंने विकलाँग से पहले यह पूछा है कि वृद्धावस्था पेंशन सबको दे दिया है या नहीं ? मान्यवर, टोटल विकलाँगों के कितने प्रकरण हैं, किस प्रकरण में पाँच हजार शेष हैं ? यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, हरिद्वार जनपद में टोटल 5210 हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अभी आपने कहा कि पाँच हजार शेष है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं यही तो बता रहा हूँ कि विकलाँग को अभी पेंशन नहीं मिल पायी है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, पिछले चार महीने की नहीं मिल पायी है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, पिछले तीन महीने की पेंशन नहीं मिल पायी है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, क्या तीन महीने की सब को नहीं मिल पायी है ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, पिछले तीन महीने की सबको नहीं मिल पायी है। यह 5210 हैं। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह कब तक दे दी जायेगी, कोई समयावधि बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, यह अतिशीघ्र दी जायेगी, बजट सत्र के बाद अतिशीघ्र। (व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि निराश्रित विधवाओं को जो पेंशन मिल रही है, उसके मानक क्या हैं और किन–किन लोगों को निराश्रित की श्रेणी में रखा जाता है ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, विधवा पेंशन निराश्रित महिलाओं को दी जाती है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, क्या निराश्रित विधवाओं को यह पेंशन पेंशन दी जाती है ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, निराश्रित विधवाओं को दी जाती है। (व्यवधान) मान्यवर, जो किसी पर आश्रित न हो, वह विधवा ही तो है, उसे पेंशन दी जाती है।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे घोर व्यवधान)

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, जो किसी पर आश्रित नहीं होगा, उसे माननीय मंत्री जी द्वारा विधवा मान लिया गया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जिसका पति मर गया हो, वह निराश्रित ही तो है, उसका कौन है।

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि मंत्री जी, किस किस्म का यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं और कैसी उनकी तैयारी है और मजाक बना रहे हैं, विधवाओं का, वृद्धों का और निराश्रितों का मजाक बनाया जा रहा है। जो किसी पर आश्रित नहीं होगा, उसे माननीय मंत्री जी द्वारा विधवा मान लिया गया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को आप स्थगित करें। (घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, उत्तर पूरा आ रहा है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उत्तर ही स्थगित करें। कुछ विधवाएं हैं, कुछ निराश्रित विधवाएं हैं, परन्तु माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया कि सारी निराश्रित विधवाएं हैं। मान्यवर, निराश्रित में वे महिलाएं भी होती हैं, जो शादी शुदा होती हैं, जिस महिला को उसके पति ने निकाल दिया हो, वे महिलाएं भी निराश्रित होती हैं। (घोर व्यवधान) जो तलाकशुदा है, वह निराश्रित ही होती है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, तीन प्रकार की पेंशन दी जाती है, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलाँग पेंशन। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री नवप्रभात का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी बात सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया सहकारी बैंकों के माध्यम से भुगतान का। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों के खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों में होते थे और उनकी पेंशन का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों के खाते में होता था। उनके राष्ट्रीयकृत बैंकों के खातों को बन्द कराकर क्या सहकारी मिनी बैंकों में खाते ट्रांसफर कराने के कोई आदेश सरकार द्वारा दिये गये थे ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया दोबारा प्रश्न पूछें।

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, पेंशन भुगतान की व्यवस्था दो तरीके से थी, पहले मनीऑर्डर के द्वारा पेंशन का भुगतान होता था, उसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा पेंशन का भुगतान होने लगा। मान्यवर, 2–3 वर्ष पूर्व इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया राष्ट्रीयकृत बैंकों के खाते बन्द कर दिये गये और सहकारी मिनी बैंकों में खाते खोल दिये गये। मान्यवर, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वृद्धावस्था, विकलाँगों और विधवाओं की जो पेंशन है, मिनी बैंकों का नेटवर्क प्रत्येक गाँव तक नहीं है और राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं प्रत्येक गाँव के आस–पास कहीं न कहीं जरूर हैं। (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के खाते बन्द करके मिनी बैंकों में खाते खुलवा दिये गये थे ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, उसके सम्बन्ध में बताना चाहूँगा। (व्यवधान)

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं और उसे सुनने के बजाय माननीय सदस्य व्यवधान पैदा कर रहे हैं। कम से कम सदन से तो यह अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से उत्तर देना चाहता हूँ। पेंशनरों की सुविधा के अनुसार जहाँ पर उनके नजदीक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वहाँ पर उनके द्वारा पेंशन दी जाती है और जहाँ पर सहकारी बैंक नजदीक हैं, वहाँ पर सहकारी बैंक के द्वारा दी जाती है। जहाँ डाकघर नजदीक हैं वहाँ पर डाकघर के द्वारा दी जाती है। जहाँ पर डाकघर या बैंक नजदीक नहीं हैं, वहाँ पर मनीआर्डर के द्वारा पेंशन दी जाती हैं। (व्यवधान)

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के खाते बन्द करवाने के आदेश दिये गये थे और क्या हम इस व्यवस्था को बदलने पर विचार करेंगे ? (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि पाँच जिलों के विकलाँग पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है तो मैं पहले यह जानना चाहता हूँ कि यह कब तक वितरित कर दी जायेगी और दूसरा क्या सरकार विकलाँग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में वृद्धि करने जा रही है, उसको दुगुना करने जा रही है या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इस पर सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है कि पेंशन दुगुनी की जाय या नहीं। विचार करने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि तीन तरह की पेंशन मिलती है, विकलाँग पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन। जबकि मेरी जानकारी में माननीय मंत्री जी को सही जानकारी नहीं है। हर जिले की 50 ऐसी महिलाओं को भी पेंशन मिलेगी, जो तलाकशुदा हों, परित्यक्ता हों और जिनके पति

मानसिक रूप से स्वस्थ न हों। प्रत्येक जिले में ऐसी 50 महिलाओं को भी पेंशन दी जाती है, लेकिन इसके फार्म आज तक उपलब्ध नहीं है। जब माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि इस तरह की चौथी पेंशन भी सरकार ने शुरू कर दी है तो मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय और अगर मेरी जानकारी सही है तो चार तरह की पेंशन है तो माननीय मंत्री जी दुबारा इस विषय पर तैयारी करके आएं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने कहा कि उनकी जानकारी है तो उनकी जानकारी बहुत व्यापक हो सकती है, हो सकता है, उत्तराखण्ड के बाहर की भी उनको जानकारी हो, लेकिन उत्तराखण्ड में वृद्धावस्था पेंशन, विकलाँग पेंशन और विधवा पेंशन के अलावा और कोई पेंशन नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी गलत उत्तर दे रहे हैं, प्रत्येक जिले में 50 परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन दिये जाने का शासनादेश यदि आप कहें तो एक घण्टे के अन्दर मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। माननीय मंत्री जी को मंत्री बने हुए 3 महीने से अधिक समय हो गया है, जब उनको प्रदेश में दी जाने वाली पेंशनों की जानकारी ही नहीं है, तो कैसे माननीय मंत्री जी से अपेक्षा की जाय कि इस प्रदेश की गरीब जनता का यह भला करेंगे। किस प्रकार से यह पेंशन को डबल करेंगे, जब इनको पेंशन की ही जानकारी नहीं है। अभी भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि सिर्फ तीन तरह की ही पेंशन है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, हमारी बात को दबाया जा रहा है और किसी भी बात का सही जबाव नहीं दिया जा रहा है। माननीय मंत्री जी द्वारा सदन को गुमराह किया जा रहा है, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, माननीय मंत्री जी झूठे बयान दे कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। इसका शासनादेश है कि प्रत्येक जिले में 50 ऐसी महिलाओं को पेंशन दी जायेगी, जो निराश्रित होंगी, (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य में 4 लाख, 85 हजार 40 लोगों को पेंशन दी जा रही है, इसके अलावा और किसी को पेंशन नहीं दी जा रही है।...

(भारतीय जानता पार्टी के माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना एवं श्री अजय टम्टा 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया, अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, उनकी बात भी सुन लीजिये।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य वापस अपने स्थान पर चले गये।)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, प्रश्न में कोई बहस नहीं होती है, इस पर बहस किया जाना अनुचित है।...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह पेंशन का मामला बहुत संवेदनशील विषय है। यह सिर्फ विपक्ष का ही विषय नहीं है, यह सत्ता पक्ष के सदस्यों का भी विषय है। जब हम लोग गाँवों में जाते हैं तो इस तरह की समस्यायें हम सभी के सामने आती हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को भी जरा समझायें कि जब हम लोग बोलते हैं तो क्या सिस्टम होता है और किस प्रकार से उन्हें संयम रखना चाहिए। यह सदन है, उसके लिए एक सिस्टम बना है और सदन सिस्टम और निमयों से ही चलेगा, ऐसे सदन नहीं चलेगा, यह गलत बात है। जब हम माननीय अध्यक्ष जी से कोई बात कह रहे हैं, तो हमें इन्टरप्ट नहीं करें, उनको इस तरह से बीच में नहीं बोलना चाहिये। मैं अपने सदस्यों से भी कहूँगा कि माननीय मंत्री जी भी बोल रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं तो वह भी संयम बरतें। मेरा माननीय मंत्रीगणों से भी निवेदन है कि जब हम बोल रहे हों, तो हमारी बात को भी सुन लें। इसमें कहीं पर कोई नाक के

ऊँची या नीची होने की भी बात नहीं है। सदन में सही बात अपनी चाहिये, एक बार माननीय मंत्री जी ने कहा कि सारी विधवायें निराश्रित हैं, पूछा गया कि निराश्रित कितनी हैं और कितनी निराश्रित विधवायें हैं, इसका भी उत्तर नहीं आया। मैंने कहा कि तलाकशुदा भी निराश्रित हो सकती हैं, परित्यक्ता भी निराश्रित हो सकती है, उसका तो उत्तर आया नहीं।

मान्यवर, दूसरा प्रश्न जो आया है, उसका भी उत्तर नहीं आया है। माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि उनके जिले में एक हजार पेंशन रूकी हैं, मैं भी उसी जनपद का रहने वाला हूँ और अभी मेरे पास फीगर तो नहीं है, लेकिन जब मैं धूराफाट पट्टी में गया तो सभी की एक ही बात थी कि हमारी पेंशन नहीं आई। मान्यवर, आपसे एक निवेदन है कि माननीय मंत्री जी अप–टू–डेट सारी फीगर माननीय विधायक जी को बाद में लिखित में दे दें, और आज इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सारे उत्तर दे रहा हूँ और मााननीय नेता प्रतिपक्ष जी स्पेसिफिक जानकारी दे दें, कि फलां जगह पर पेंशन नहीं मिल रही है, मैं उन्हें निर्देशित कर दूँगा कि उन्हें तत्काल पेंशन दी जाय। (घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, आपको पेंशन के बारे में पता ही नहीं है कि तीन या चार तरह की पेंशन दी जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी को पता ही नहीं कि पेंशन कितने तरह की दे रखी है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, आपको दिल्ली का पता है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पास इतनी भी फिगर नहीं हैं कि कहाँ विधवाएं कितनी हैं, निराश्रित कितनी हैं। यह तो इनीशियल प्रश्न का उत्तर नहीं है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैंने बता दिया है कि मेरे प्रश्न में 4 लाख 85 हजार 40 लोगों को पेंशन दी जा रही है और उसमें से 3 लाख 13 हजार 214 वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, 49 हजार 531 विकलाँग पेंशन दी जा रही है और 01 लाख 02 हजार 295 विधवा पेंशन दी जा रही है। ये टोटल इतनी पेंशन दी जा रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, चौथी प्रकार की पेंशन का तो माननीय मंत्री जी ने जिक्र ही नहीं किया है अभी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका जवाब ही नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि चौथी तरह की कोई पेंशन नहीं है। क्या यह सरकार का जवाब है माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष जी से जवाब ले लेता हूँ। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, सरकार कहती है कि चौथी तरह की कोई पेंशन नहीं है। अगर माननीय अध्यक्ष जी, मैं जी0ओ0 लाकर दूँगा तो (व्यवधान)

खाद्य एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, उसमें माननीय मंत्री जी का कहना है कि वर्तमान समय में तीन प्रकार की पेंशन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, इसमें विकलाँग है, विधवा और वृद्धावस्था है। जो आपने कहा कि शासनादेश हुआ है, उस पर अभी कोई पेंशन निर्गत नहीं की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि चौथी प्रकार की कोई पेंशन है ही नहीं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अभी निर्गत नहीं की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि है ही नहीं ऐसी कोई पेंशन। (व्यवधान) वही तो हम लोग कह रहे हैं कि क्यों दी नहीं जा रही है ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जब निर्गत ही नहीं की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि चौथी तरह की कोई पेंशन है ही नहीं। जब मैंने कहा कि हर जिले में 50 ऐसी महिलाए हैं। (व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

माननीय अध्यक्ष जी, ये जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, मैंने जो जानकारी प्राप्त की है, बहुत आवश्यक प्रश्न है आपका। ये जब आपकी बी0जे0पी0 की गवर्नमेंट थी, तब एक शासनादेश किया था, शासनादेश के अनुरूप अभी सर्वे हो रहा है। सर्वे पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही सर्वे पूरा हो जायेगा, इस तरह की जो महिलाएं आती हैं, उनको भी पेंशन मिलेगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि पेंशन अभी लोगों को नहीं मिल रही है। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने मुझे कहा कि माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है।

श्री विजय बहुगुणा–

मान्यवर, अब आपको जवाब मिल गया है, अब तो संतुष्ट हो जाओ।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यह सर्वे कब तक पूरा जो जायेगा ?

श्री विजय बहुगुणा–

मान्यवर, अतिशीघ्र।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, अतिशीघ्र कोई जवाब नहीं होता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि........(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका स्पष्ट जवाब आ गया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, कहाँ जवाब आया है। मुझसे कह रहे हैं कि तुम दूसरे प्रदेश की बात कर रहे हो, तुम दिल्ली की बात कर रहे हो। यह तो माननीय अध्यक्ष जी, गलत बात है। माननीय मंत्री जी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न का उत्तर आ गया है।

श्री राजेश शुक्ला –

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि सदन में माननीय मंत्री जी को बचाने के लिए खुद सत्ता पक्ष की ओर से अनरिलेवेन्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमारा मूल प्रश्न है कि जिन लोगों को आप पेंशन दे रहे हैं, जिस भी योजना के तहत दे रहे हैं, निराश्रित, विकलाँग, विधवा जितनी भी पेंशन है। हमारा यह कहना है कि एक तरफ आप स्वयं कह रहे हैं कि हमने तीन महीने तक की दे दी है। दूसरी तरफ आपका लिखित जवाब है कि

जनवरी से आपने नहीं दी है। मान्यवर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि हमने कहा कि आप कब तक दे देंगे ? आप कह रहे हैं कि भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही मैं आपकी गति यह है कि 5214 में से केवल 214 लोगों को आपने पेंशन दी है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, आप प्रश्न पूछिये।

श्री राजेश शुक्ला –

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि 'कब तक' आप जवाब दे रहे हैं कि 'उपरोक्तानुसार' ये क्या जवाब हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ कि जिनको आपने पेंशन अब तक नहीं दी है, जिनके खातों में पेंशन नहीं पहुँच रही है, पिछले 06 महीने से, इसकी हमें स्पेसफिक डेट बताइये कि कब तक दे देंगे।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, अतिशीघ्र दे देंगे।

श्री राजेश शुक्ला –

मान्यवर, अतिशीघ्र कोई जवाब नहीं है। चार हजार लोगों को मेरे जिले में पेंशन नहीं मिल रही है, उनके खाते राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले हुए हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, आप लिख कर दे दीजिए, मैं इसका परीक्षण कर लूँगा।

श्री राजेश शुक्ला –

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, यह प्रश्न स्थगित करने योग्य है। माननीय मंत्री जी इसमें पूरी जानकारी के साथ आयें ऐसा निर्देश माननीय अध्यक्ष जी देने का कष्ट करें।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल –

मान्यवर, नेता सदन ने इस प्रश्न के जवाब में अपना जवाब दिया। पूरा जवाब समझने के बाद ही नेता सदन ने संतोषजनक जवाब दिया। नेता सदन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि नेता सदन ने इस विषय को समझा।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर आ गया है।

राज्य की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया तथा सरकार द्वारा भुगतान पर विचार

*3–श्री मदन कौशिक, श्री राजेश शुक्ला, श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का कितना रुपया बकाया है ?

क्या सरकार किसानों की बकाया धनराशि का भुगतान करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी गन्ना एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

उत्तराखण्ड राज्य की कुल 10 चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2011–12 का रु0 246.71 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया है। उक्त के अतिरिक्त चीनी मिल काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर पर पेराई सत्र, 2007–08 का गन्ना किसानों का वर्तमान में भी अंकन रु0 409.73 लाख बकाया है।

राज्य सरकार राज्य की चीनी मिलों से गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक –

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि रु0 246.71 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान जो बकाया है। क्या यह टोटल 10 चीनी मिलों का है, 10 चीनी मिलों में कितने कुन्तल गन्ना पेरा गया, जिसमें से रु0 246 करोड़ शेष रहा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना –

मान्यवर, जैसा कि अभी पूछा गया कि 246 करोड़ रुपये क्योंकि यह प्रश्न कुछ समय पहले का है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा संशोधित करना चाहूँगा। इसमें 10 करोड़ रुपये का भुगतान हो गया है और अब 236 करोड़ रुपये बकाया है। यह बकाया शायद कहीं न कहीं (व्यवधान)......

श्री मदन कौशिक –

मान्यवर, कही न कहीं क्या होता है। यह तो मैंने पूछा ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूँ, सुनने का प्रयास करिये। यह बहुत संवेदनशील मामला है, कृषकों का मामला है, चीनी मिलों का मामला है। इसलिए कि आपने भी विभाग को बहुत बारीकी से समझा है और मेरा भी प्रयास है कि किसानों की समस्या का समाधान किसी न किसी रूप में कर लिया जाना चाहिए। यह बहुत ही गम्भीर मसला है। इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो अब तक किया जाना चाहिए था, उस दिशा में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यह कोशिश है कि कैसे गन्ना किसानों का भुगतान शीघ्र से शीघ्र किया जाय। इसके लिए हम लोग कन्टीजेंसी फण्ड से पैसा उपलब्ध करा रहे हैं। मान्यवर, उसके लिए हम भारत सरकार से सम्मानित माननीय मंत्री श्री थॉमस साहब जी से मिले थे।

(कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, अभी समय बहुत है, आप लोग 12:20 मिनट तक प्रश्न कर सकते हैं। मैं यह चाहता हूँ कि सदन कुछ गम्भीरता पूर्वक इस समस्या के निदान की दिशा में अगर कुछ सुझाव रखे तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। इसलिए आप लोग इसका लाभ उठायें। जहाँ तक कुल पिराई की बात है, वह पहले ही आपको बता दिया गया है, जैसाकि इस संलग्न पत्र में भी लिखा गया है कि 364.07 लाख कुन्तल है। इसलिए बहुत कमी महसूस की जाती है कि हमारे यहाँ जो वातावरण गन्ने के उत्पादन को लेकर है, वह प्रतिकूल परिस्थितियों एवं मौसम में भी हम गन्ना पैदा करते हैं।

श्री अजय भट्ट –

मान्यवर, सीधे–सीधे प्रश्न का उत्तर आ जाय, माननीय मंत्री जी तो बहुत सीनियर सदस्य भी हैं। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक –

मान्यवर, मेरा केवल एक लाईन का प्रश्न है कि 10 चीनी मिलों में 246 करोड़ बकाया है। इन 10 चीनी मिलों में कितने कुन्तल, कितने मूल्य का गन्ना पिरोया है जिससे 246 करोड़ रुपया बकाया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, 364.07 लाख कुन्तल है, यानी 905.46 करोड़ रुपये हैं। (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक –

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो गन्ने की मिलों का सीजन था, यह कब तक समाप्त होगा और कितने दिनों का शेष भुगतान है?

चूँकि यह दिनों के हिसाब से भुगतान किया जाता है, शायद मंत्री जी को भी कुछ दिनों में जानकारी हो जायेगी, जब समीक्षा बैठक करेंगे। यह किस तारीख तक का भुगतान किस मिल का हो गया है और कितने समय का शेष रह गया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, सितारगंज का 04 फरवरी, 2012 तक का हो गया है, बाजपुर का 11 फरवरी तक का, गदरपुर का 20 जनवरी तक का, नादीर का 31 जनवरी तक का, किच्छा का 23 फरवरी तक का, डोईवाला का 11 फरवरी तक का हो गया। काशीपुर का 15 फरवरी तक का, इकबालपुर का 31 जनवरी तक का और लक्सर का 07 मार्च तक का हो गया है।

श्री मदन कौशिक –

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने बताया है, वह लगभग फरवरी तक का हो गया है। यानी जो माननीय मंत्री जी अभी पूरा भाषण दे रहे थे कि यह तब का है या उस सरकार का है तो चुनाव के बाद का है, यानी यह फरवरी के बाद का शेष भुगतान है, वह 246.07 करोड़ रुपये का है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो फरवरी के बाद का भुगतान है, इसमें किसानों को क्या ब्याज सहित भुगतान किया जायेगा ? (घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, स्थिति को समझने के लिए मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2005–06 में जब सरकार कांग्रेस की थी, तब किसानों का एक भी पैसे का बकाया नहीं था, सरकार पर और मिलों पर (घोर व्यवधान) आज सभी माननीय सदस्यों ने कहा है और मैं भी इसी सत्र की बात कर रहा हूँ। कृपया सुनने का प्रयास कीजिए। (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, वर्ष 2010 में किसानों का 51 करोड़ रुपये का बकाया था और वर्ष 2011 में 140 करोड़ रुपये किसानों का बकाया है। (व्यवधान) इससे आप स्वतः ही अंदाज लगा लीजिए कि कहाँ पर कितनी दिक्कत है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह आपने उत्तर में क्यों नहीं दिया ? यदि पिछले साल का 100 करोड़ रुपये का बकाया है तो उसका उत्तर बताइये।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, वर्ष 2011 का 140 करोड़ रुपये बकाया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप कह रहे हैं कि पिछले वर्ष का एक सौ कुछ करोड़ रुपये का बकाया है तो मिल फाइनेशियल इयर में नहीं चलती है, मिल सीजन में चलती है। इसलिए मैंने तारीख पूछी है, आप उस तारीख को बतायें कि फरवरी में कब भुगतान हो गया है, तो फरवरी तक का भुगतान होने का मतलब है, पिछली सरकार का और जो फरवरी के बाद का आपने बताया कि 246 करोड़ है तो क्या आप इसको ब्याज सहित वापस करायेंगे, इतना मैंने पूछा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं इतना बताना चाहता हूँ, आप समझने का प्रयास करें। मान्यवर, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि भुगतान करने की तिथियाँ, यह जो बकाया मूल्य किसानों का जनवरी तक का है, उसका भुगतान 31 मार्च तक होता चला गया। यह नहीं कि 31 तारीख को भुगतान हुआ, उन लोगों के जो ड्यूज 31 मार्च तक के थे, वह भुगतान अब भी जारी है, जिसमें 10 करोड़ रुपये और जारी हो गया है और भी पैसा दिया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसका मकसद उनको समझ लेना चाहिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम आपका मकसद समझ गये हैं, पर आप बतायें कि ब्याज देंगे या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, ब्याज देने की यदि पहले से प्रक्रिया है तो अब भी दे दिया जायेगा, इसमें क्या दिक्कत है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, पहले की प्रक्रिया नहीं आज की क्या प्रक्रिया है वह बतायें।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, गन्ना किसानों के बकाये की जो बात आ रही है, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा हूँ। ये जो नुकसान मिलों का है, हर साल लगातार बढ़ता चला जा रहा है और आज यह स्थिति है कि कुल जितना गन्ना हमने खरीदा उसका 25 प्रतिशत गन्ना भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार जो हमारी चीनी मिले हैं, उनके लिए श्वेत पत्र लाकर, इस सदन के अन्दर इस विषय पर एक व्यापक चर्चा हो ताकि इस विषय पर हम एक ऐसी दूरगामी नीति बनायें कि चीनी मिलों का परिवेश क्या होगा, गन्ना किसानों का परिवेश क्या होगा , एक निर्णय राजनीतिक परिवेश से ऊपर उठकर यह सरकार करे, तो क्या सरकार ऐसी पहल इस सदन में करने जा रही है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है और यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण और हो जाता है, क्योंकि अगर हम पूरे देश के परिवेश में देखते हैं तो हमारे प्रदेश की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। अन्य प्रदेशों की तुलना में। यहाँ पर गन्ना मूल्य की कीमत 250 रुपये प्रति कुन्तल है, वहीं साऊथ में 147 रुपये प्रति कुन्तल है, उत्तर प्रदेश में जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर गन्ने का मूल्य 240 रुपये प्रति कुन्तल है, तो यह भिन्न है। मान्यवर, पूरे देश के परिवेश में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ 236 करोड़ रुपये की देनदारी है, किसानों की तरफ या किसानों का देना है, वहीं पूरे देश में देखें तो करीब 10 हजार करोड़ रुपये का बकाया किसानों का है मिलों पर। किसानों के हित में कभी–कभी गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ता है। केन्द्र सरकार द्वारा गन्ना मूल्य 145 रुपये प्रति कुन्तल है और उस 145 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि 250 रुपये का मूल्य दे रहे हैं। तो जो 105 रुपये का फर्क है, सरकारें आई उन्होंने घोषणा की और घोषणा करने के बाद उनको दे दिया। यह जो 105 रुपये का जो बैकलॉक है, उसकी कहाँ से भरपाई होगी, इसके बारे में मैं समझता हूँ कि यह चीनी मिलों के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जिसकी वजह से गन्ना किसानों का भुगतान करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है।

मान्यवर, जहाँ तक माननीय सदस्य सिंघल साहब की बात है, वह बहुत ही चिंतनशील व्यक्ति हैं ओर हमेशा किसान और कृषकों की बात करते रहते हैं और उसी नजरिये से जो उन्होंने अपनी बात जाहिर की है कि इसके लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। मान्यवर, सरकार ने इसका गठन पहले ही कर दिया है और इस दिशा में तमाम पहलुओं पर विचार करने का प्रयास है, ताकि सरकार गन्ने की खेती भी बढ़ा सके और गन्ने की रिकवरी वाली वैरायटी को पैदा कर सके, टिशू कल्चर के माध्यम से उसे बढ़ा सके। चूँकि क्षेत्रफल लगातार घटता चला जा रहा है और मिलों की क्षमता को भी बढ़ाये जाने की बहुत आवश्यकता है। मान्यवर, इसी सामंजस्य को स्थापित करने के लिए हमारे जो प्रयास हैं, उसी समिति में आप भी सादर आमंत्रित हैं। इस दिशा में कुछ न कुछ हल निकालने की बहुत आवश्यकता होगी।

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के उत्तर में काशीपुर चीनी मिल में वर्ष 2007–2008 के बकाया का जिक्र आया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2007–2008 का बकाया अभी तक क्यों है और क्या कार्यवाही इस बकाये को वसूल करने के लिए की गयी है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूँकि वर्ष 2007–2008 में बहुत सारी मिलों पर बकाया था और इस सम्बन्ध में ये लोग कोर्ट में गये और कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गये और सुप्रीम कोर्ट में हार जाने के बाद काशीपुर पर इतना बकाया निकलता है। इस बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए केन कमिश्नर के माध्यम से आदेश जारी कर दिये गये हैं और बहुत जल्दी इसकी रिकवरी प्राप्त कर ली जायेगी।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि डोईवाला शुगर मिल में कितना गन्ना मूल्य अभी किसानों का शेष है ? मेरा दूसरा प्रश्न है, कब तक इसका भुगतान हो जायेगा ? मेरा तीसरा प्रश्न है कि क्या सरकार जैसा कि अभी आपने कहा है कि पूरे प्रदेश में लगभग 236.71 करोड़ बकाया है तो क्या सरकार कोई फण्ड के माध्यम से इसका भुगतान करेगी ? मान्यवर, मेरा चौथा प्रश्न है कि जिस तरह से अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि चीनी मिल की हालत अच्छी नहीं है तो डोईवाला चीनी मिल की स्थिति वास्तव में बहुत अच्छी नहीं है। क्या सरकार इसको सुधारने का कार्य करेगी ? जहाँ तक आपने गन्ना मूल्य 105 रु0 बढ़ाने की बात कही है तो मैं सदन के माध्यभ से पिछली अपनी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने किसानों का 250 रु0 देने का कार्य किया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, डोईवाला चीनी मिल पर 23.90 लाख रु0 बकाया है। आपने दूसरा प्रश्न किया है कि डोईवाला चीनी मिल को सुधारने के लिए कुछ प्रयास किये जायेंगे। मान्यवर, इत्तेफाक से डोईवाला मिल का जो क्षेत्रफल है, जहाँ पर गन्ना उत्पादन के लिए व्यवस्था होती है कृषकों की, वह धीरे–धीरे घटता चला जा रहा है। मकान बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस घाटे को उबारने के लिए हम लोगों की कोशिश यह रही है कि स्वायल टेस्टिंग के माध्यम से, वहाँ पर कौन सी अर्ली वैरायटी को हम पैदा कर सकें, कौन सी लेट वैरायटी को करें, हाईब्रीड को पैदा करें, उस पर बहुत विस्तृत रूप में चर्चा भी की गयी है और इसके लिए तैयारियाँ भी व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर भुगतान के सम्बन्ध में, मैं अपको बताना चाहता हूँ इस सम्बन्ध में मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने (घोर व्यवधान) या तो मुझे बोलने दें। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाईये।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे सवाल का पूरा जवाब आने दें, माननीय मंत्री जी अभी खड़े हैं, वे जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, क्या सरकार इस वर्ष का गन्ना मूल्य कम करने जा रही है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, पाँच साल के अनुभव को माननीय सदस्य आज यहाँ पर उकेरना चाहते हैं। मान्यवर, मैंने कहा कि 105 रु0 जो अतिरिक्त गन्ना मूल्य किसानों को चीनी मिलें दे रही है। मान्यवर, उन लोगों का यह मानना है और यह सत्य भी है कि 105 रुपये की घोषणा यदि किसी भी सरकार ने की है, वह लाईबिलिटी भी सरकार की होनी चाहिए, वह सरकार के द्वारा वहन की जानी चाहिए। कम करने की बात नहीं कही गयी है। आप समझ लीजिए। मैं दुबारा कहना चाहूँगा कि 105 रुपये की घोषणा किसी भी सरकार द्वारा समय–समय पर की जाती है, जबकि केन्द्र का समर्थन मूल्य 145 रुपये हैं और यहाँ पर 250 रुपये दे रहे हैं। तो उनकी क्षमता के लिए, जो मशक्कत वे करते हैं, उनके मेहनताने के रूप में मानदेय दिया जाता है। उनका कहना है कि 105 रुपये सरकार और शासन को वहन करना चाहिए। कम करने की बात नहीं कही गयी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इनको मेहनताना नहीं देते। एक एक्सपर्ट कमेटी तय करती है कि कितना मूल्य हो। यह मेहनताना नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि गन्ना किसानों का 246.71 करोड़ रुपये बकाया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह भुगतान कब तक हो जाएगा और किस मद से होगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जल्दी से जल्दी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं और इसके लिए हम लोग कई तरीकों से धन की व्यवस्था करने के लिए प्रयासरत् है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पास स्टॉक में अभी चीनी भी है और शीरा भी है। आप जानते हैं कि केन्द्र सरकार की एक रणनीति होती है कि इस महीने में आपको इतनी चीनी रिलीज करनी है, मिलें उसे रिलीज करती हैं तो उससे हम पैसा अर्जित करते हैं और उस पैसे से हम किसानों के बकाये का भुगतान करते हैं और जल्दी से जल्दी इसका भुगतान करने के लिए आप से ज्यादा हम लोग चिंतित हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे हिसाब से सब कुछ करने के बाद भी 160 करोड़ रुपये का बकाया बच जा रहा है, तो क्या पूरा भुगतान कर पाएंगे इस वर्ष में ?

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–04 पुकारे जाने पर)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह एक स्पेसिफिक प्रश्न आया है। (व्यवधान) कब तक भुगतान करेंगे, स्पेसिफिक डेट बता दें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, एक बहुत अच्छा प्रश्न हमारे नौजवान साथी ने किया। कभी–कभी किसानों के हित की रक्षा करने की लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम 70 विधायगण हैं, 71वां भाई भी है। (व्यवधान) मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपनी विधायक निधि से कुछ न कुछ दे कर इसका समाधान करें। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बहुत गलत बात है कि किसानों के संवेदनशील मुद्दे पर माननीय मंत्री जी यहाँ पर किसानों की हँसी उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि विधायक निधि से दे दें। क्या प्रश्न पूछा है और क्या उसका उत्तर दे रहे हैं। इसलिए हम इस सदन का बायकॉट कर रहे हैं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में आकर अपने–अपने स्थान पर बैठे गये)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए हम इस पर विचार भी करना चाहते थे और लोगों की राय भी लेना चाहते थे। मैंने पहले ही इंगित कर दिया था कि 12:20 बजे तक हमारे पास समय है, इस पर बात आनी चाहिए, लेकिन इसको जितनी हल्के ढंग से उठाने का प्रयास कुछ साथियों ने किया, उससे मुझे दुःख है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह प्रश्न तो स्थगित हो गया। हमने इस पर बायकॉट भी कर दिया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, स्थगित नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम दुबारा सदन से बायकॉट कर रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन के बाहर चले गये)

श्री सरवत करीम अंसारी–

माननीय अध्यक्ष जी, जब सदन में किसान की बात आती है तो क्या उसी टाईम पर ऐसे बाहर निकलकर किसान का मजाक उड़ाया जाता है। मान्यवर, हिन्दुस्तान में 81 फीसदी हिस्से में काश्तकारी होती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर 80 फीसदी गन्ने की खेती होती है।......

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन के भीतर आकर अपने–अपने स्थान पर बैठ गये)

श्री सरवत करीम अंसारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि लिब्बरहेड़ी मिल पर अब तक कितना बकाया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपनी बात को दोहराने का कष्ट करें।

श्री सरवत करीम अंसारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा हूँ कि जब–जब किसानों की बात आती है तो यह बाहर क्यों चले जाते हैं। क्या सदन में किसान की कोई हैसियत नहीं है, मैं जानना चाहता कि सदन में कितने काश्तकार है ? क्योंकि उनकी बातों को नहीं उठाया जा रहा है। मान्यवर, मिल मालिकों ने जो काश्तकारों के साथ किया है, उसे एक लाईन में कहना चाहता हूँ कि "उजले कपड़ों से इन्सान की नस्ले नहीं जानी जाती, खून इन्सान की नस्लों का पता देता है।" मिल मालिक किसानों का खून चूस रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो किसानों का खून चूसा जा रहा है, उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ? मेरे इलाके के काश्तकार बहुत परेशान हैं। 31 जनवरी का तो भुगतान किया जा रहा है। 31 जनवरी का पेमेण्ट आज हो रहा है और आज 29 मई हो गई है तो इतना डिफरेंस हो गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार इसका भुगतान कब तक करवायेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता भुगतान को लेकर है, जो वाजिब भी है और हम सब लोग भी इसके प्रति बहुत गम्भीर हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो अन्तर है, चीनी

के उत्पादन में जो कॉस्ट आती है, वह 3400 से 3700 रुपये तक आती है और हमारी बिकवाली 2800 से 2900 रुपये की है तो स्वाभाविक रूप से 500 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान मिलों का हो रहा है। जिसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या इस समय पैदा हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था और पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी सदस्य सहृदयता का यदि यहाँ पर योगदान करें और योगदान के माध्यम से इस मसले का निस्तारण करने के लिए अपने सुझाव देंगे तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर होगा और जहाँ तक किसानों के प्रति भावनाओं का प्रश्न है तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे यह प्रदेश और देश दोनों कृषि प्रधान हैं। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे पूरे प्रदेश में 246 करोड़ रुपये का बकाया है और पूरे देश में 10,000 हजार करोड़ रुपये का बकाया चल रहा है। माननीय सदस्य ने लिब्बरहेड़ी शुगर मिल का सवाल उठाया तो उसमें यह बताना चाहूँगा कि 31 करोड़ रुपये का बकाया उसमें है और हमारी कोशिशें यही है कि किसी न किसी रूप में किसानों का बकाया भुगतान कर लिया जाय, वह हम किन माध्यमों से करेंगे, हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे।

*4–श्री चन्दन राम दास–

आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

जनपद पिथौरागढ़ में वित्तीय स्वीकृति के बाद भी ट्रामा सेन्टर की स्थापना न होने तथा कार्य प्रारम्भ होने की अवधि

*5–श्री मयूख सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि गत सरकार के कार्यकाल में मेरे प्रथम सत्र, 2011 के प्रथम सोमवार के तारांकित प्रश्न सं0–14 के उत्तर में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में वक्तव्य दिया गया था कि पिथौरागढ़ में ट्रामा सेन्टर इसी वित्तीय वर्ष में खोला जायेगा, किन्तु वित्तीय वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी उक्त कार्य हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है ?

क्या सरकार पिथौरागढ़ में ट्रामा सेन्टर खोलने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा।

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

ट्रामा सेन्टर के लिए लोक निर्माण विभाग की चिन्हित भूमि हस्तान्तरण का प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

यह भूमि की उपलब्धता होने पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मयूख सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिथौरागढ़ में ट्रामा सेंटर निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया किस स्तर पर गतिमान है और मैं यह भी जानना चाहूँगा कि पिथौरागढ़ के निकटतम ट्रामा सेंटर की दूरी क्या है और ट्रामा सेंटर के निर्माण होने तक क्या पिथौरागढ़ के लोगों के उपचार के लिए सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, पिथौरागढ़ ट्रामा सेंटर की स्वीकृति की गयी थी, लेकिन भूमि उपलब्ध न होने की वजह से इसका निर्माण का कार्य नहीं हो पाया और भूमि उपलब्ध कराने के लिए जब प्रयास किये गये तो पी0डब्लू0डी0 के अधीक्षण अभियन्ता का एक घर पड़ता था, उस स्थान को चिन्हित किया गया। उसको ट्रांसफर करने में कुछ समय लगा और समय लगने के उपरान्त काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन माननीय सदस्य जी को आपके माध्यम से सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि आज वहाँ पर उस जमीन के अधिग्रहण का कार्य चल रहा है और मैं समझता हूँ कि जमीन जैसे ही उपलब्ध होती है, निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे ऋषिकेश में, आप स्वयं भी गये थे। यातायात, जो इस समय यात्रा चल रही है, उसमें ऋषिकेश बहुत महत्वपूर्ण है और वहाँ पर जो ट्रामा सेंटर खुला हुआ है, उसमें न वेंटीलेटर है, न डाक्टर है, न ब्लड बैंक है, तो इस स्थिति में कब तक सरकार उसे सुचारू रूप से चला पायेगी ? यह मेरा आपसे स्पेसिफिक सवाल है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जैसाकि माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि ऋषिकेश ट्रामा सेटर के बारे में। ऋषिकेश एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत बड़ा जो पर्यटन एवं तीर्थाटन का सैलाब फ्लोटिंग पापुलेशन के रूप में चारों धाम की यात्रा के लिए जाता है, उसका एक बहुत बड़ा बेस हास्पिटल के रूप में उसको देखा जाता है और ट्रामा सेंटर वहाँ पर विकसित किया जाना चाहिए। स्वीकृति भी है, लेकिन कुछ दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं।

हम इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम भी करना चाहते हैं और इसके लिए धन भी उपलब्ध कराने का मन हमारा है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो हमारे जो डाक्टर्स की कमी है पूरे प्रदेश के अन्दर, उससे दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया था और वहाँ पर मैंने दो कमियों को देखा। एक ब्लड बैंक जिसे भारत सरकार से मान्यता प्रदान करने की दिशा में हम लोगों ने पहल कर दी है। एक सप्ताह में उसमें कार्यवाही हो गई थी और ट्रामा सेंटर में भी एक सर्जन की नियुक्ति इसी बीच में की गई है। हालांकि 33 का स्टाफ एक ट्रामा सेंटर में होता है, जिसमें 11 डाक्टर होते हैं, 02 आर्थो सर्जन होते हैं, 02 सर्जन होते हैं, इसी प्रकार जो है 11 लोगों की नियुक्ति होती है। दिक्कतें जो हमारे सामने आ रही हैं वो डाक्टर्स की कमी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दें तो फिर आप कहेंगे कि भाषण दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेंटीलेटर की व्यवस्था (व्यवधान)

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, टनकपुर वाला ट्रामा सेंटर क्यों रूका हुआ है ? कांग्रेस शासन में स्वीकृत था टनकपुर में ट्रामा सेंटर भूमि जब उपलब्ध है और काम रूका हुआ है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, ट्रामा सेंटर, जिनका निर्माण हो चुका है वो 10 हैं, जो निर्माणाधीन हैं, वो 04 हैं और जिनके प्रस्ताव हमारे पास आये हैं, वो 03 हैं। (व्यवधान)

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, टनकपुर का क्यों रूका हुआ है ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, डाक्टर्स का बहुत बड़ा अभाव है, जिसकी वजह से यह जो अधिकतर ट्रामा सेंटर हैं, इनको संचालित करने में बहुत बड़ी असुविधा का सामना हमको करना पड़ रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें डाक्टर्स की पूर्ति (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त।

नोट– तारांकित प्रश्न सं–05 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

समाज कल्याण निदेशालय द्वारा आवर्तक अनुदान की सूची के अन्तर्गत विद्यालयों की संख्या तथा उक्त विद्यालयों के कर्मचारियों को पाँचवां/छठवां वेतनमान देने पर विचार

1–श्री चन्दन राम दास–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में समाज कल्याण निदेशालय द्वारा कितने विद्यालय आवर्तक अनुदान की सूची में हैं ?

क्या सरकार उक्त विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को पाँचवा/छठा वेतनमान देने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

समाज कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत वर्तमान में 08 विद्यालय आवर्तक अनुदान की सूची में सम्मिलित हैं।

प्रस्ताव का सम्यक् परीक्षण कर इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन विभाग की बसों में रूटवार प्रतिदिन यात्रियों की संख्या, प्रदेश परिवहन से अन्य राज्यों में आवागमन करने वाली बसों की संख्या तथा यात्रियों की सुविधा हेतु सरकार की योजना

2–श्री मदन कौशिक–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की परिवहन निगम की बसों में कुल कितने व्यक्ति रूटवार प्रतिदिन यात्रा करते हैं ? प्रदेश परिवहन से अभी तक कितनी बसों का आवागमन अन्य राज्यों में होता है ? यात्रियों की सुविधाओं हेतु सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तराखण्ड में राज्य गठन के उपरान्त जनपदवार बालक–बालिकाओं का जन्मदर अनुपात तथा कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार द्वारा डॉक्टरों/नर्सिंग होमों पर की गई कार्रवाई

3–श्री मदन कौशिक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में राज्य गठन के पश्चात् जनपदवार बालक–बालिकाओं का जन्मदर अनुपात क्या है ?

क्या सरकार द्वारा भ्रूण हत्याओं को रोकने की दृष्टि से डॉक्टरों/नर्सिंग होम इत्यादि पर कार्यवाही की गयी है ?

यदि हाँ, तो कितनों पर ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बालक–बालिकाओं का जन्मदर अनुपात 908 एवं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जन्मदर अनुपात 886 है।

जी हाँ।

कुल 05 पर।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में जनपदवार/चिकित्सालयवार सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत डाक्टर व रिक्त पदों की संख्या तथा डॉक्टरों की कमी दूर करने हेतु सरकार द्वारा स्थायी समाधान

4–श्री मदन कौशिक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में जनपदवार/चिकित्सालयवार सृजित पदों पर कुल कितने डाक्टर कार्यरत/कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार डाक्टरों की कमी को दूर करने हेतु कोई स्थाई समाधान निकालने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

उत्तराखण्ड में जनपदवार/चिकित्सालयवार चिकित्सकों के सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत चिकित्सकों एवं रिक्त पदों की संख्या का विवरण संलग्न है। †

† (देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ–54 पर)

विशेषज्ञ चिकित्सकों के 583 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है एवं चिकित्सकों की संविदा पर नियुक्ति हेतु प्रत्येक मंगलवार को वॉक–इन–इन्टरव्यू का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के वि0ख0 एकेश्वर अन्तर्गत पंचुर का डांडा में मिनी स्टेडियम बनाने हेतु विचार

5–श्री तीरथ सिंह–

क्या खेल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत पट्टी मवालस्यूं में पंचुर का डाँडा में एक मिनी स्टेडियम बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ?

खेल मंत्री (श्री दिनेश अग्रवाल)–

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल अन्तर्गत एकेश्वर में प्रस्तावित क्रीड़ा स्थल के निर्माण पर विचार

6–श्री मदन कौशिक–

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि विभाग द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत एकेश्वर में क्रीड़ा स्थल निर्माण का प्रस्ताव किया गया था ?

यदि हाँ, तो उक्त स्थान पर आज तक क्रीड़ा स्थल निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं

क्या सरकार जनहित में उक्त स्थान पर खेल का मैदान बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हाँ।

शासनादेश संख्या–487/VI–2/2010–05(11)/2007, दिनांक 27–10–2010 में निर्धारित दिशा–निर्देशों एवं मानकों के अनुसार ग्राम–बडोली, एकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्रीड़ा स्थल/मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु धन का प्रबन्ध यथा सम्भव मनरेगा योजना से किये जाने हेतु जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को निर्देशित किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी, एकेश्वर द्वारा प्राक्कलन तैयार किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के वि0स0 क्षेत्र पुरोला अन्तर्गत नौगाँव, पुरोला व मोरी में बस स्टैण्ड के निर्माण पर विचार

7—श्री माल चन्द—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगाँव, पुरोला, मोरी में बस स्टैडों का निर्माण किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगाँव, पुरोला तथा मोरी में बस स्टैण्ड की निगम में कोई योजना नहीं है। निगम द्वारा वर्तमान में प्रस्तावित रूट पर कुछ ही बस सेवायें संचालित हैं, जिसके दृष्टिगत उक्त स्थलों पर निगम द्वारा बस स्टैण्ड का निर्माण व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के वि0स0 क्षेत्र खटीमा में रोडवेज बस स्टैण्ड की स्थापना

8—श्री पुष्कर सिंह धामी—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा खटीमा में रोडवेज बस स्टेशन स्थापित किये जाने की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक बस स्टेशन स्थापित कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश—

जी हाँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में वर्ष 1995 में 0.1174 है0 भूमि पर स्थापित बस स्टेशन का जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास लोक निजी सहभागिता के आधार पर कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के वि0स0 क्षेत्र खटीमा में स्पोर्ट्स कालेज खोलने व स्टेडियम निर्माण की योजना

9–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर विधान सभा क्षेत्र खटीमा में स्पोर्ट्स कालेज खोलने व स्टेडियम के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के जनपद देहरादून में पूर्व से ही स्पोर्ट्स। कालेज स्थापित/संचालित है। जनपद ऊधमसिंह नगर में वर्तमान में खेल विभाग के 02 स्टेडियम, क्रमशः काशीपुर एवं रूद्रपुर में संचालित/स्थापित हैं, जिसमें विभाग की प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता योजनान्तर्गत विभिन्न खेलों में जनपद के बालक–बालिकायें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

जनपद पिथौरागढ़ में आशा व आशा फैसलिट्रेटरों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के समय दी जाने वाली सुविधायें

10–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में आशा व आशा फैसलिट्रेटरों को साल भर में कितनी बार प्रशिक्षण दिया जाता है।

तथा प्रशिक्षण के समय चाय, नाश्ता व भोजन दिया जाता है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रशिक्षण का मानदेय भी दिया जाता है ?

यदि हाँ, तो कितना ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनपद पिथौरागढ़ में आशा व आशा फैसलिट्रेटरों को भारत सरकार के द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशानुसार विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे हैं। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों में प्रशिक्षण हेतु वर्ष में प्रशिक्षणों की संख्या निर्धारित नहीं है।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोहाघाट के उच्चीकरण के प्रस्ताव पर विचार

11–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोहाघाट जनपद चम्पावत के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक सम्बन्धित आदेश जारी कर दिये जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

पूर्व में महानिदेशक स्तर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहाघाट जनपद चम्पावत के उच्चीकरण से सम्बन्धित अतिरिक्त 20 शैय्या निर्माण हेतु प्रारम्भिक आगणन प्राप्त हुआ था, किन्तु उक्त चिकित्सालय में 30 शैय्याओं के सापेक्ष उपयोगिता की दर 75–80% है। अतः शैय्या उपयोगिता दर कम होने के कारण 20 शैय्याओं की अतिरिक्त वृद्धि करने की औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चम्पावत के लोहाघाट में बस स्टेशन निर्माण का प्रस्ताव तथा लोहाघाट डिपो को नई बसें उपलब्ध कराने पर विचार

12–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लोहाघाट जनपद चम्पावत में बस स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है ?

क्या सरकार लोहाघाट डिपो को नई बसें उपलब्ध करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि लोहाघाट डिपो को वर्ष 2012–13 में नई बसें उपलब्ध करा दी गई हैं।

जनपद टिहरी के वि0स0 क्षेत्र धनौल्टी के शेष 40% क्षेत्र को ओ0बी0सी0 क्षेत्र घोषित करने हेतु कार्यवाही

13–श्री महावीर सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत 60 प्रतिशत भू–भाग को पूर्व में ओ0बी0सी0 क्षेत्र घोषित कर दिया गया था ?

क्या सरकार जनपद के शेष 40 प्रतिशत भू–भाग को ओ0बी0सी0 क्षेत्र घोषित किये जाने पर विचार कर रही है।

यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

क्षेत्र विशेष को पिछड़ा वर्ष घोषित किये जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्याः एन0सी0बी0सी0/आर0डब्लू/33 विविध–2005 (उत्तरांचल), दिनांक 01–12–2006 के आधार पर उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किसी क्षेत्र विशेष को पिछड़ा वर्ग क्षेत्र घोषित किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या एन0सी0बी0सी0/आर0डब्लू/33 विविधि' 2005 (उत्तरांचल), दिनांक 01 दिसम्बर, 2006 में उल्लिखित उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में की गयी मंत्रणा के दृष्टिगत इसका प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र पुरोला के नौगाँव, पुरोला व मोरी में परिवहन विभाग की नई बसें चलाने पर विचार व समयावधि

14–श्री माल चन्द–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत सरकार नौगाँव, पुरोला, मोरी में परिवहन निगम की पुरानी बसों के स्थान पर नई बसें चलाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कहाँ–कहाँ और कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून–नौगाँव–पुरोला–बड़कोट में अधिकांश नई बसें चलाई जा रही हैं।

जनपद नैनीताल के वि0ख0 धारी स्थित देवस्थल में निर्माणाधीन दूरबीन वेधशााला के निर्माण कार्य के पूर्ण होने की अवधि

15–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के धारी विकास खण्ड स्थित देवस्थल में दूरबीन वेधशाला का कार्य निर्माणाधीन है ? यदि हाँ, तो उक्त वेधशाला का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन (स्वायत्तशासी संस्थान) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, मनोरापीक, नैनीताल द्वारा जनपद नैनीताल के धारी विकास खण्ड स्थित देवस्थल में 1.3 मीटर ब्यास की आप्टिकल दूरबीन की स्थापना हो चुकी है, एवं एक अन्य 3.6 मीटर ब्यास की आप्टिकल दूरबीन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है और इसकी स्थापना का कार्य आगामी एक वर्ष के भीतर पूर्ण होने की संभावना है।

प्रदेश एवं नैनीताल जनपद के ओखलकाण्डा व रामगढ़ वि0ख0 स्थित पी0एच0सी0 सेन्टरों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण लगाने, योग्य चिकित्सकों की यथाशीघ्र नियुक्ति किये जाने एवं स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव

16–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश भर में स्थित पी0एच0सी0 सेन्टरों को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित किये जाने एवं योग्य तथा कुशल डाक्टरों की यथाशीघ्र नियुक्ति किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल स्थित ओलखकाण्डा एवं रामगढ़ विकास खण्ड स्थिति पी0एच0सी0 सेन्टरों में डाक्टरों की नियुक्ति एवं उनके स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

प्रदेश में चिकित्सकों/विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के 583 रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है एवं चिकित्सकों की संविदा पर नियुक्ति हेतु प्रत्येक मंगलवार को वाक–इन–इन्टरव्यू रखा गया है।

चिकित्सकों की नियुक्ति उनकी उपलब्धता पर निर्भर करेगी। रामगढ़ में श्रेणी–4 के 2, श्रेणी–2 के 4 तथा श्रेणी–1 के 4 आवास निर्मित एवं विभाग को हस्तान्तरित हो चुके हैं। ओखलकाण्डा में आवासों के निर्माण की योजना स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम द्वारा देहरादून से पौड़ी–पाटीसैंण–नौगाँवखाल–धरासू–तुनाखाल तक बस सेवा का संचालन

17–श्री तीरथ सिंह–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् देहरादून से विभिन्न स्थानों हेतु उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा बसों के संचालन में वृद्धि की गयी है ?

यदि हाँ, तो निगम द्वारा देहरादून से पौड़ी पाटीसैंण–नौगाँवखाल–धरासू–तुनाखाल तक बस सेवा संचालित की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार जनहित में देहरादून से तुनाखाल तक बस सेवा संचालित करेगी?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी हाँ।

वर्तमान में देहरादून से पौड़ी तक बस सेवा संचालित है। देहरादून–तुनाखाल मार्ग का सर्वे कराया जा रहा है। मार्ग पर यात्रियों की उपलब्धता एवं मार्ग बस संचालन हेतु उपयुक्त होने तथा परिवहन निगम बस बेड़े में नई बसें आने पर देहरादून से तुनाखाल बस सेवा संचालन पर विचार किया जा सकेगा। वर्तमान में परिवहन निगम के बस बेड़े में बसों की संख्या सीमित होने के कारण कोई भी नई सेवा दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

18—श्री गणेश जोशी—

आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत राजस्व ग्राम चयन के मानक, राजस्व ग्रामों की संख्या तथा उक्त ग्रामों को सड़क से जोड़ने की योजना

19—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों को चयनित करने के क्या मानक हैं ?

एस0सी0पी0 के अन्तर्गत प्रदेश में कुल कितने राजस्व गाँव हैं ?

क्या उक्त गाँवों को सड़कों से जोड़ने की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कितने गाँवों को सड़कों से जोड़ा गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश—

अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत 40 प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले ग्रामों का चयन किया जाता है।

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 2140 ग्राम हैं।

जी हाँ।

अप्रैल, 2012 तक 1517 ग्रामों को।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के नागरिक चिकित्सालय रानीखेत कैम्पस के ट्रामा सेन्टर में चिकित्सकों की नियुक्ति

20—श्री अजय भट्ट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले के नागरिक चिकित्सालय, रानीखेत के कैम्पस में ट्रामा सेन्टर खोल दिया गया है ?

यदि हाँ, तो उसमें कितने चिकित्सक हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों तथा सरकार द्वारा चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हाँ।

11 सृजित पदों के सापेक्ष वर्तमान में कोई चिकित्सक तैनात नहीं है।

प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की अत्यन्त कमी के कारण पद रिक्त हैं। लोक सेवा आयोग को 583 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन प्रेषित किया गया है। नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग से चयन सूची प्राप्त होने पर निर्भर करेंगी।

जनपद अल्मोड़ा के सरकारी अस्पताल रानीखेत में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत चिकित्सक व चिकित्सकों की नियुक्ति

21–श्री अजय भटट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के सरकारी अस्पताल, रानीखेत में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल कितने चिकित्सक वर्तमान में कार्यरत हैं।

तथा कब तक सभी पदों पर नियुक्तियाँ कर दी जायेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

कुल स्वीकृत 31 पदों के सापेक्ष वर्तमान में 12 चिकित्सक कार्यरत हैं।

प्रदेश में चिकित्सकों की अत्यन्त कमी के कारण पद रिक्त हैं। लोक सेवा आयोग को 583 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन प्रेषित किया गया है। नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग से चयन सूची प्राप्त होने पर निर्भर करेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के सरकारी अस्पताल रानीखेत में सी0एम0एस0 की नियुक्ति हेतु कार्यवाही

22–श्री अजय भटट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले के सरकारी चिकित्सालय, रानीखेत में 100 बैड भवन का निर्माण हो चुका है ?

यदि हाँ, तो नियमानुसार सी0एम0एस0 की नियुक्ति कर दी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

तथा कब तक सी0एम0एस0 की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रक्रियाधीन होने के कारण अभी नियमित नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

शीघ्र की जायेगी।

राज्य में गन्ना विकास परिषदों के गठन की प्रक्रिया तथा विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्ति व निर्वाचक मण्डल की संरचना एवं नियमानुसार निर्वाचन

23–श्री मदन कौशिक–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में गन्ना विकास परिषदों के गठन की क्या प्रक्रिया है ?

वर्तमान में गन्ना विकास परिषदों में कौन–कौन व्यक्ति किन–किन पदों पर कब से आसीन हैं ?

परिषदों में निर्वाचन हेतु निर्वाचक मण्डल की संरचना क्या है ?

क्या सभी गन्ना विकास परिषदों में निर्वाचन की प्रक्रिया नियमानुसार हुई है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

राज्य में गन्ना विकास परिषदों का गठन उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 5 (3) में दी गई व्यवस्थानुसार किया जाता है।

गन्ना विकास परिषद्, किच्छा

नाम	पदनाम	तिथि
1	2	3
1. श्री अजय कुमार सिंह	सभापति	17–4–1989
2. श्री झण्डा राम	सदस्य कृषक	17–4–1989
3. रिक्त	सदस्य कृषक	
4. रिक्त	सदस्य कृषक	
5. श्री हरीश चन्द्र	सदस्य कृषक	17–4–1989
6. श्री मिल द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य मिल	17–4–1989
7. श्री मिल द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य मिल	17–4–1989
8. रिक्त	सदस्य खाण्डसारी	
9. जिला गन्ना अधिकारी/ सहायक गन्ना आयुक्त	पदेन सदस्य	17–4–1989

1	2	3
10. बीज उत्पादन अधिकारी	पदेन सदस्य	पद नहीं
11. गन्ना रक्षा निरीक्षक	पदेन सदस्य	पद नहीं
12. ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	पदेन सदस्य/सचिव	17–4–1989

गन्ना विकास परिषद् काशीपुर

1. श्री सोहन सिंह	सभापति	17–4–1989
2. रिक्त	सदस्य कृषक	
3. शेर मोहम्मद (उ0प्र0 कार्यमुक्त)	सदस्य कृषक	
4. श्री सुधीर शर्मा	सदस्य कृषक	17–4–1989
5. श्री दिग्विजय सिंह	सदस्य कृषक	17–4–1989
6. मिल द्वारा नामित	सदस्य मिल	17–4–1989
7. मिल द्वारा नामित	सदस्य मिल	17–4–1989
8. रिक्त	सदस्य खाण्डसारी	
9. जिला गन्ना अधिकारी/ सहायक गन्ना आयुक्त	पदेन सदस्य	17–4–1989
10. बीज उत्पादन अधिकारी	पदेन सदस्य	पद नहीं
11. गन्ना रक्षा निरीक्षक	पदेन सदस्य	पद नहीं
12. ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	पदेन सदस्य/सचिव	17–4–1989

गन्ना विकास परिषद् लक्सर

1. श्री अजब सिंह	सभापति	30–8–1988
2. श्री लक्खी राम वर्मा	सदस्य कृषक	30–8–1988
3. श्री इरफानुल हसन	सदस्य कृषक	30–8–1988
4. श्री प्रद्युम्न अग्रवाल	सदस्य कृषक	30–8–1988
5. श्री धर्मपाल सिंह	सदस्य कृषक	30–8–1988
6. रिक्त		
7. मिल द्वारा नामित	सदस्य मिल	30–8–1988
8. मिल द्वारा नामित	सदस्य कृषक	30–8–1988

1	2	3
9. जिला गन्ना अधिकारी/ सहायक गन्ना आयुक्त	पदेन सदस्य	30–8–1988
10 गन्ना रक्षा अधिकारी	पदेन सदस्य	पद नहीं
11. बीज उत्पादन अधिकारी	पदेन सदस्य	पद नहीं
12. ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	पदेन सदस्य/सचिव	30–8–1988

गन्ना विकास परिषद् डोईवाला

1. श्री रणजीत सिंह वर्मा	सभापति	08–11–1988
2. रिक्त	सदस्य कृषक	
3. श्री मामचन्द खत्री	सदस्य कृषक	08–11–1988
4. श्री गुरूचरण सिंह	सदस्य कृषक	08–11–1988
5. रिक्त	सदस्य कृषक	
6. मिल द्वारा नामित	सदस्य मिल	08–11–1988
7. मिल द्वारा नामित	सदस्य मिल	08–11–1988
8. श्री दिनेश कुमर बंसल	सदस्य खाण्डसारी	08–11–1988
9. जिला गन्ना अधिकारी/ सहायक गन्ना आयुक्त	पदेन सदस्य	08–11–1988
10. बीज उत्पादन अधिकारी	पदेन सदस्य	08–11–1988
11. गन्ना रक्षा निरीक्षक	पदेन सदस्य	08–11–1988
12. ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	पदेन सदस्य/सचिव	08–11–1988

परिषदों में निर्वाचन मण्डल की संरचना निम्नवत् है:–

1. सम्बन्धित चीनी मिल द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि सदस्य।
2. सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियों की प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से पाँच सदस्य।
3. खाण्डसारी बनाने वाली लाईसेन्स शुदा शक्ति चालित इकाईयों के स्वामियों द्वारा निर्वाचित सदस्य।
4. जिला गन्ना अधिकारी/सहायक गन्ना आयुक्त, पदेन सदस्य।

5. गन्ना रक्षा निरीक्षक, पदेन सदस्य।

6. बीज उत्पादन अधिकारी, पदेन सदस्य, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, पदेन सदस्य–सचिव

---

1. गन्ना विकास परिषद् , किच्छा, काशीपुर, लक्सर एवं डोईवाला में निर्वाचन प्रक्रिया नियमानुसार हुई है।
2. गन्ना विकास परिषद्, बाजपुर में सभापति की मृत्यु हो जाने के कारण सहायक गन्ना आयुक्त, ऊधमसिंह नगर उनका कार्य कर रहे हैं।
3. गन्ना विकास परिषद्, इकबालपुर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सभापति आयोग्य घोषित कर मंत्री गन्ना विकास परिषद् को कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया है।
4. गन्ना विकास परिषद्, गदरपुर, सितारगंज, नादेही तथा लिब्बरहेड़ी में परिषद् बोर्ड का गठन आज तक नहीं हुआ है।

उक्त उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में उत्तराखण्ड राज्य की परिस्थितियों अनुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। संशोधन के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन विभाग में बिचौलियों के माध्यम से हो रहे कार्यों पर रोक हेतु कार्यवाही

24–श्री मदन कौशिक–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि परिवहन विभाग में बिचौलियों के माध्यम से हो रहे कार्यों को रोकने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग में बिचौलियों के माध्यम से कोई कार्य नहीं किया जाता है।

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, पहली सूचना माननीय सदस्य श्री तीरथ सिंह जी की है, जो वनाग्नि की चपेट में आने और चिकित्सा सुविधा प्राप्त न होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त महिला की कोटद्वार संयुक्त चिक्त्सालय में मृत्यु होने से सम्बन्धित है, को मैं नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लूँगा। दूसरी सूचना के विषय में मैंने कल दिनांक 28 मई, 2.012 को माननीय सदन को सूचना दे दी थी। सम्भवतः व्यवधान के कारण आपने ध्यान नहीं दिया। मैं पुनः सूचित करता हूँ कि जनपद ऊधमसिंह नगर 68, सितारगंज विधान सभा क्षेत्र से उत्तराखण्ड विधान सभा के लिए निर्वाचन सदस्यता से त्याग–पत्र दे दिया। जिसे मैंने दिनांक 23 मई, 2012 अपराह्न से स्वीकार कर लिया है। अतः श्री किरन चन्द मण्डल का स्थान उत्तराखण्ड विधान सभा में दिनांक 23 मई, 2012 के अपराह्न से रिक्त हो गया है।

अतः पीठ से विनिश्चय का सम्मान करते हुए कृपया अपनी सूचना पर बल न देने का कष्ट करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, कल हमने निरस्त होने की सूचना सुन भी ली थी, सदन में यह बात आ भी गई थी। इसलिए इतने महत्वपूर्ण मामले में आपसे संरक्षण नहीं मिलेगा, इस मामले पर चर्चा नहीं होगी यहाँ पर तो हम कहाँ जायेंगे। (व्यवधान) माननीय नेता सदन का बयान कल अखबारों में आया है। (व्यवधान)

खेल मंत्री (श्री दिनेश अग्रवाल)–

मान्यवर, पहले श्री टी0पी0एस0 रावत जी के मामले में चर्चा करा लें (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर चर्चा करा ली जाये। अगर इस पर चर्चा हो जायेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जायेगा। इसमें कम से कम आज सदन की बाकी कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करा ली जाये।(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री तीरथ सिंह, श्री मदन कौशिक तथा कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' की कुल तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री तीरथ सिंह, माननीय सदस्य की सूचना पर अतारांकित प्रश्न संख्या–31 दिनांक 28–05–2012 द्वारा उत्तर दिया जा चुका है। शेष दोनों सूचनाएं, जो कि माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक तथा कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' की हैं, को मैं स्वीकार कर रहा हूँ।

इसके अतिरिक्त आज नियम–58 के अन्तर्गत प्राप्त माननीय सदस्य श्री तीरथ सिंह की सूचना, जो कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लॉक के अन्तर्गत नौखंडी के 05 वर्षीय बालक को बाघ द्वारा उठा लिये जाने से सम्बन्धित है, को भी नियम–300 में स्वीकार कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन व्यवस्थित न होने के कारण अपनी सूचना उपस्थित नहीं कर पाये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री तीरथ सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य द्वारा सूचना उपस्थित नहीं की गई।)

(नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और 'वेल' से नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण (संशोधन) अध्यादेश, 2012

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण (संशोधन) अध्यादेश, 2012 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2012

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2012 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2012

सहकारी मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2012 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2012 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2012 का प्रथम अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विधेयक, 2012

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2012

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2012

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन)विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012

सहकारिता मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल पूर्वाहन 11:00 बजे तक के लिए।

(इसके उपरान्त सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून,

दिनांक : 29 मई, 2012

डी0पी0 गैरोला,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–4 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–35–36 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2013 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री मदन कौशिक, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–4 के उत्तरालेख्य का संलग्नक।

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में जनपदवार/चिकित्सालयवार चिकित्सकों के सृजित/कार्यरत तथा रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति निम्नांनुसार है :–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	एस0ए0डी0			पी0एच0सी0			सी0एच0सी0			जिला चिकि0/महिला/पुरूष			अन्य चिकि0			कुल योग		
		स्वी0	कार्य0	रिक्त	स्वी0	कार्य0	रिक्त	स्वी0	कार्य0	रिक्त	स्वी0	कार्य0	रिक्त	स्वी0	कार्य0	रिक्त	स्वी0	कार्य0	रिक्त
1.	पौड़ी गढ़वाल	67	36	31	62	30	32	42	17	25	38	16	22	89	39	50	298	138	160
2.	रूद्रप्रयाग	22	15	7	24	3	21	17	7	10	25	10	15	5	0	5	93	35	58
3.	देहरादून	24	18	6	36	31	5	78	50	28	94	67	27	116	80	36	348	246	102
4.	टिहरी	30	22	8	51	17	34	49	11	38	27	11	16	25	11	14	182	72	110
5.	उत्तरकाशी	21	9	12	24	12	12	28	12	16	31	13	18	6	0	6	110	46	64
6.	चमोली	25	9	16	27	10	17	48	17	31	41	13	28	8	1	7	149	50	99
7.	हरिद्वार	0	0	0	39	15	24	56	21	35	32	20	12	50	19	31	177	75	102
8.	पिथौरागढ़	32	11	21	36	10	26	36	15	21	35	22	13	20	1	19	159	59	100
9.	बागेश्वर	14	10	4	23	8	15	15	7	8	24	16	8	4	0	4	80	41	39
10.	चम्पावत	10	1	9	14	5	9	19	12	7	27	0	27	20	12	8	90	30	60
11.	ऊधमसिंह नगर	8	5	3	50	13	37	51	38	13	25	23	2	34	20	14	168	99	69
12.	अल्मोड़ा	39	22	17	71	25	46	34	14	20	34	22	12	96	31	65	274	114	160
13.	नैनीताल	31	20	11	27	14	13	92	24	68	36	28	8	108	76	32	294	162	132
	कुल योग	323	178	145	484	193	291	565	245	320	469	261	208	581	290	291	2422	1167	1255

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 विधान सभा/367–19–08–2013–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।